

SHRI SHANTI BHUSHAN: I am coming to that.

MR. SPEAKER: He is still replying.

SHRI SHANTI BHUSHAN: There is a standard procedure laid down that three to six months before a vacancy is due to arise proposal has to be made. There are some vacancies which are known that they are going to arise on such and such a date. Sometimes vacancies may arise on account of either elevation of a judge to the Supreme Court or somebody dying or somebody resigning and so on. In that case within a month of occurrence of the vacancy, the Chief Justice is required to initiate the proposal. Otherwise where the vacancy can be anticipated, three to six months before vacancy arises he has to make the proposal. In fact, we have started now a new innovation for the first time. After this Government took office, the Law Ministry takes now an initiative and keeps on reminding, keeps a track as to where the matter is pending. It keeps on reminding either the Chief Justice or the Chief Minister, etc. to expedite matters, so that the appointments can be made.

Committee for Revision of Electoral Rolls

*853. **SHRI CHATURBHUIJ.** Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is proposed to set up a committee for intensive revision of electoral rolls as also for recommending structural organisation; and

(b) if so, the details in regard to the composition and the terms of reference of the committee?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI SHANTI BHUSHAN): (a) and (b). The Election Commission has constituted a Committee consisting of the following officials to study in depth the existing set-up of election

machinery in various States and Union territories, at different levels i.e. State, District, Taluk/Tehsil/Block and to recommend a model set-up of the election machinery for each such level:—

Chairman

1. **Shri R. Sampathkumaran,** Chief Electoral Officer, Karnataka.

Members

2. **Shri R. K. Pandey,** Chief Electoral Officer, Madhya Pradesh.
3. **Shri J. N. Bhattacharjya,** Chief Electoral Officer, Tripura.
4. **Shri H. S. Dubey,** Chief Electoral Officer, Himachal Pradesh.
5. **Shri S. N. Sinha,** Joint Chief Electoral Officer, Bihar.
6. **Shri G. C. Upreti,** Joint Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh.

Member-Secretary

7. **Shri K. Ganesan,** Under Secretary (Legal) Election Commission of India.

The Committee may associate any other officer if they think if necessary so to do in the interest of the work of the Committee. The terms of reference of the Committee are:—

- (1) To study in depth the existing set-up of election machinery in various States and Union territories at different levels to deal with—

(a) Preparation and revision of electoral rolls;

(b) Conduct of elections; and

(c) Matters incidental thereto.

- (2) To make recommendations in regard to a model set-up of the election machinery at various levels in the States/ Union territories.

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, निर्वाचन आयोग ने सात सदस्यों की जो समिति गठित की है वह कब गठित की गई, यह नहीं बताया गया तथा उसका कार्यकाल कब पूरा होगा, यह भी नहीं बताया गया है। समिति के कार्यक्षेत्र में, समिति के संचालन में कौन कौन से क्षेत्र आयेंगे यह भी स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया है।

श्री शान्ति भूषण : एलेक्शन कमीशन ने इस समिति का गठन किया है और हाल में ही इसका गठन हुआ है। मैं नहीं समझता इस समिति को अपना कार्य पूरा करने में कोई बहुत लम्बा समय लगेगा लेकिन यह एलेक्शन कमीशन के हाथ में होगा कि कितना समय दिया जाए और कितना समय न दिया जाए।

श्री चतुर्भुज : अध्यक्ष महोदय, निर्वाचन आयोग ने यह समिति गठित की है। मैं इसलिए यह सवाल पूछ रहा हूँ कि जो जनरल इलेक्शन 1977 में हुए थे, वे 1971 की निर्वाचन सूचियों के आधार पर हुए थे। छः सालों में कितने मर गये और कितने जिये रहे, उन में से कुछ का नाम भी उन में नहीं था और यहां तक हुआ कि आपातकाल में जो हमारा समर्थन करने वाले व्यक्ति थे, उन सब का नाम हटा दिया गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि निर्वाचन आयोग निष्पक्ष रूप से काम करे, इसलिए इस समिति का भारी रूप में परिवर्तन होना चाहिए। यह जो कमेटी गठित की गई है, यह डाऊटफुल समिति है। इसलिए मेरा कहना यह है कि इस समिति में निर्वाचित व्यक्तियों के एक दो प्रतिनिधियों को भी शामिल किया जाए लोक सभा के अन्दर से।

श्री शान्ति भूषण : चुनाव समिति का जो यह गठन किया गया है, यह इसलिए किया गया है कि शायद यह देखा गया है कि कुछ कमियां रह गई हैं चुनाव की प्रक्रिया में यानी इलेक्टोरल रोलस को तैयार करने के कार्य में और चुनाव पूरा कराने के कार्य में। इसलिए इन की इन-डेपथ स्टडी की जाए कि हर स्टेट में क्या क्या कमियां हैं क्योंकि हर जगह एक ही चुनाव मशीनरी नहीं है, हर स्टेट में अलग अलग चुनाव मशीनरी है और उन में आपस में फर्क है। इसलिए एक इन-डेपथ स्टडी कर के चुनाव के बारे में एक मोडल सेटअप बनाया जाए, तो बहुत अच्छा होगा और वह मशीनरी अच्छी तरह से काम कर सकेगी। इस सब को स्टडी करने के बाद वे रिक्मेंड करेंगे कि मोडल सेटअप क्या हो और फिर चुनाव आयोग उस में आवश्यक कार्य कर सकेगा।

श्री रामविलास पासवान : यह जो मंत्री महोदय ने कहा है, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू है मतदाता सूची का नहीं होना बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो मैं मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगा कि इतना महत्वपूर्ण यह मुद्दा है और इस महत्वपूर्ण मुद्दे में दो चीजें हैं। आप ने समिति सेटअप की है और उन चीजों का नाम आप ने दिया है जिनके जिम्मे यह काम सौंपा है। यह बहुत

महत्वपूर्ण काम है और इस पर पूरी जनतन्त्र की नींव खड़ी हो जाती है। तो मैं अपने माननीय मंत्री जी से यह पूछना चाहूंगा कि आपने जो संगठनात्मक पहलू है, उस पर भी क्या ध्यान दिया है? अभी तक यह देखा जा रहा है कि जो समाज का बीकर सेक्शन है, उस के प्रति घाघलियां होती हैं, कभी मतदाता सूची में उस का नाम नहीं जोड़ा जाता है और नाम जोड़ा भी दिया जाता है, तो उस को वोट के अधिकार से वंचित किया जाता है। इन पहलुओं को क्या आप ने ध्यान में रखा है और यदि रखा है तो उन समुदायों के अधिक से अधिक प्रतिनिधि इस में रखे जाएं, जिससे वे निष्पक्ष रूप से अपने वोट डाल सकें क्या इस पर विचार किया है?

श्री शान्ति भूषण : मान्यवर, इस चुनाव समिति का गठन सरकार की ओर से नहीं किया गया है। इसका गठन चुनाव आयोग ने किया है। चुनाव आयोग जो बात जरूरी समझता है, उस की इन-डेपथ स्टडी वह कराएगा कि स्टेट्स में चुनाव मशीनरी क्या हो और किस तरह से वह अपना कार्य करे। इस के लिए एक मोडल सेटअप यह चुनाव समिति बताएगी। इसलिए चुनाव आयोग ने इस का गठन किया है।

SHRI P. A. SANGMA: In the last conference of the Chief Electoral Officers held in New Delhi, the Chief Election Commissioner disclosed that a large number of foreign nationals was found included in the electoral rolls of the North-eastern region. It was further disclosed that in one State the number of foreign nationals was upto 30 per cent. Therefore, it was suggested by the Chief Election Commissioner that a thorough inquiry should be made into this, and the system of issuing identity cards should be considered as far as North-eastern region is concerned. I would like to know from the hon. Minister: what steps have the Government taken in this regard. Have the Government accepted this recommendation?

SHRI SHANTI BHUSHAN: So far as the issue of identity card to each voter is concerned, that is a complicated matter and it requires study in depth. The Election Commission has directed that an experiment should be carried out in some areas and then it should be studied whether it should be absolutely workable.